अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

	न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची	
	सी0 सी0 ए0 वाद सं0 126 / 2023	
11 16.02.2024	राज्य	
	बनाम	
	अफताब अंसारी पिता अजीज अंसारी निवासी ग्राम नेवरी विकास, थाना मेसरा ओ०पी० (सदर) जिला राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी	
	आदेश	
	वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1397 / डी०सी०बी० दिनांक 17.10.2023 द्वारा पेशेवर जमीन माफिया अफताब अंसारी पिता अजीज अंसारी निवासी ग्राम नेवरी विकास्र, थाना मेसरा ओ०पी० (सदर) जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–	
	1. सदर (मेसरा ओ०पी०) थाना कांड सं० 182 / 20 दिनांक 01.05.2020 धारा 147 / 149 / 341 / 323 / 447 / 379 भा0द0वि0 2. सदर (मेसरा ओ०पी०) थाना कांड सं० 229 / 20 दिनांक 11.06.2020 धारा 341 / 323 / 504 / 385 / 506 / 427 भा0द0वि0 3. सदर (मेसरा ओ०पी०) थाना काण्ड सं०–291 / 23, दिनांक 17.06.2023 धारा–25(1–बी०)ए० / 26 / 35 आर्म्स एक्ट 4. सदर (मेसरा ओ० पी०) थाना सन्हा सं० 21 / 2023 दिनांक 25.09.2023 5. सदर (मेसरा ओ० पी०) थाना सन्हा सं० 26 / 2023 दिनांक 04.10.2023	
	वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उपाधीक्षक सदर, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–2024/2023, दिनांक–13.10.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया है कि अफताब अंसारी पिता अजीज अंसारी निवासी ग्राम नेवरी विकास, थाना मेसरा ओ०पी० (सदर) जिला राँची एक सक्रिय भू–माफिया एवं अपराधकर्मी है। इनके द्वारा जमीन दिलवाने के नाम पर रुपया लेकर धोखाधड़ी किया जाता है, ये ना ही जमीन देते है और ना ही रुपया वापस करते है तथा हमेशा मारपीट करने लोक शांति भंग किया करते है, जिससे लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद विपक्षी की ओर से इस वाद मे अग्रेतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 12.01.2024 एवं 16.01.2024 को चेतावनी जारी करने के बाद दिनांक 02.02.2024 को कारण पृच्छा जमा किया गया। अतः यह वाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित किया गया।

विपक्षी के अनुसार – विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का धोखाधडी नही किया गया है। विपक्षी के किसी व्यक्ति के द्वारा सन्हा दर्ज नहीं किया गया। सदर (मेसरा ओ० पी०) थाना कांड सं० 182/2020 मे सुलह हो गया है, जिसके आधार पर विपक्षी को जमानत प्राप्त है। सदर (मेसरा ओ० पी०) थाना कांड सं० 229/2020 मामूली आपसी विवाद से संबंधित है एवं सदर (मेसरा ओ० पी०) थाना कांड सं० 291/2023 मे भी विपक्षी को जमानत प्राप्त है। विपक्षी आदतन अपराधकर्मी नही है। विपक्षी न्यायालय के द्वारा लगाये गये सारे शर्त्तो का पालन करने के लिए तैयार है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

एक असामाजिक तत्व एवं सक्रिय जमीन–माफिया है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी अफताब अंसारी पिता अजीज अंसारी निवासी ग्राम नेवरी विकास, थाना मेसरा ओ०पी० (सदर) जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी अफताब अंसारी पिता अजीज अंसारी निवासी ग्राम नेवरी विकास, थाना मेसरा ओ०पी० (सदर) जिला राँची को दिनांक 23.02.2024 से दिनांक 22.05.2024 तक की अवधि के लिए मेसरा ओ० पी० थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, मेसरा ओ० पी० के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 22.02.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 23.02.2024 से दिनांक 22.05.2024 तक प्रत्येक दिन मेसरा ओ० पी० थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति अफताब अंसारी पिता अजीज अंसारी निवासी ग्राम नेवरी विकास, थाना मेसरा ओ०पी० (सदर) जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे। जिला दण्डाधिकारी राँची (लेखापित एवं संशोधित) जिला दण्डाधिकारी राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.03.11 03:24:57 -07:00
Location: 192.168.1.5